



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/4/2026- ADMN

स्थापना आदेश सं.: 21/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

मुख्य आयुक्त कार्यालय के स्थापना आदेश सं. CCU-45/2026 दिनांक 01.07.2026 के अंतर्गत निरीक्षक से अधीक्षक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं :-

क्रम. सं.	अधीक्षक का नाम (सुश्री/ श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	Abhishek Sharma	30.12.1989	On promotion	CGST Alwar (To be reviewed in AGT-2027)
2.	Pranjali	02.09.1989	On promotion	CGST Alwar (To be reviewed in AGT-2027)
3.	Nanak Gupta	21.07.1988	On promotion	CPC Jaipur (on loan basis from CGST Alwar) (To be reviewed in AGT-2027)
4.	Rafiq Mohd.	01.04.1977	On promotion	Customs (P) Jodhpur (Hqrs. at Jaipur)
5.	Sunil Mahawar	03.07.1989	On promotion	Customs (P) Jodhpur (Hqrs. at Jaipur) (To be reviewed in AGT-2027)
6.	Divyanshu Kumar	30.03.1987	On promotion	CGST Udaipur
7.	Priyanka	23.08.1989	On promotion	CCO Jaipur (on loan to CBIC)
8.	Umakant Sharma	01.01.1993	On promotion	CGST Udaipur
9.	Rajkumar Baloda	30.10.1992	On promotion	CGST Udaipur

(* श्री नानक गुप्ता, अधीक्षक (क्र. स. 3) के मामले में स्थानान्तरण भत्ता एवं जोड़िंग टाइम देय नहीं होगा 1)

2. डीजीजीआई कोच्चि से प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने पर सुश्री शशिकला एस., अधीक्षक के सीजीएसटी, जयपुर ज़ोन में कार्यभार ग्रहण करने पर निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं :-

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE

क्रम. सं.	अधीक्षक का नाम (सुश्री/ श्री)	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1	Shreekala S.	27.10.1966	On return from Deputation from DGGI(Kochi)	CGST Udaipur

3. सुश्री शशिकला एस., अधीक्षक को आज दिनांक 10.07.2026 अपरान्ह में कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

4. संबंधित प्रधान आयुक्त/ आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार में पदस्थापित अधिकारियों को दिनांक 17.07.2026 तक कार्यभारमुक्त कर निर्देश देवें कि वे अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करें।

5. संबंधित प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से सम्बंधित स्थापना आदेश जारी करते समय, स्थानान्तरण नीति दिशानिर्देश, 2018 (यथा संशोधित), अधिकारियों की पोस्टिंग का इतिहास और सीवीसी/सीवीओ द्वारा समय-समय पर जारी संवेदनशील/ असंवेदनशील पोस्टिंग के संबंध में विभिन्न निर्देशों को ध्यान में रखा जावे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(शर्मा सूर्यप्रकाश गुलाबचंद)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., अलवर/ उदयपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।
2. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
3. सम्बंधित अधिकारी।
4. अधीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
5. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।